न्यायालयः अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सह विशेष न्यायाधीश, उत्पाद, प्रथम, शिवहर।

शिवहर थाना कांड संख्या–121/2021

दिनांक–26.03.2021

कारााधीन अभियुक्त–1. पुजा देवी, जिन्हें शिवहर थाना कांड संख्या–121/2021 अन्तर्गतं धारा–30(ए) बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद (संशोधित) अधिनियम, 2018 के अपराध के संदर्भ में दि0–19.03.2021 से न्यायिक अभिरक्षा में कारा में होना अभिकथित है कि ओर से दाखिल जमानत आवेदन को उनके विद्वान अधिवक्ता श्री मनोज कुमार, द्वारा संचालित किया गया है, जिस पर उनको तथा विद्वान विशेष लोक अभियोजक श्री ब्रजेश कुमार सिंह को सुना गया।

अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक–18.03.2021 को सूचक पु0नि0 रघुनाथ प्रसाद ने सशस्त्र बल एवं अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ अवैध शराब कारोबारी की धर–पकड़ हेतु निर्धारित समकालीन अभियान के दौरान गुप्त सूचना मिली कि ग्राम मथुरापुर में पेशेवर शराब कारोबारी अमोद सिंह एक कार्टुन विदेशी शराब आज लाकर अपने घर में रखा है और उसकी पत्नी 500/– रुपया में एक बोतल शराब बेच रही है। उक्त सूचना के आधार पर संबंधित स्थान पर पहुँचकर घेराबंदी कर छापामारी के दौरान एक महिला कमरे का दरवाजा बन्द करने लगी जिसे महिला पुलिस के सहयोग से कब्जे में लेते हुए उक्त कमरे की तलाशी के कम में पलंग के नीचे से एक मैकडोफेल कम्पनी का कार्टुन(शराब) जिसमें कुल 18 बोतल प्रत्येक बोतल में 375 एम0एल0 कुल 06 लीटर 750 एम0 एल0 अंग्रेजी शराब बरामद किया गया तथा नाम पता पुछने पर अपना नाम पुजा देवी पति अमोद सिंह बताया एवं शराब के बारे में पति अमोद सिंह द्वारा लाने की बात बतायी। इसी आधार पर कांड संस्थित किया गया।

जमानत आवेदन को प्रचालित कर आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता कथन करते हैं कि आवेदक अभियुक्त निर्दोष है और उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है तथा उन्हें गंदी ग्रामीण राजनीति के कारण झूठे मुकदमें में फंसाया गया है। आवेदक का कोई अपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक अभियुक्त दि0–19.03.2021 से कारा में हैं। आवेदक सक्षम बंध पत्र देने को तैयार हैं तथा उनके प्रपलायन की कोई संभावना नहीं है। अतः आवेदक अभियुक्त को जमानत पर मुक्त करने की कृपा की जाए।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक जमानत का विरोध करते हैं।

उभय पक्षों को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि आवेदक अभियुक्त प्रस्तुत वाद में दि0–19.03.2021 से न्यायिक अभिरक्षा में कारा में है। प्राथमिकी के अनुसार आवेदक अभियुक्त के घर से 06 लीटर 750 एम0 एल0 अंग्रेजी शराब बरामदगी का आरोप है।

अतः उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं कोरोना महामारी के प्रकोप को देखते हुए आवेदक अभियुक्त–1. पुजा देवी, के द्वारा मो0–10,000/–(दस हजार रुपया) के दो समान प्रतिभू एवं जमानतदार दाखिल करने पर मुक्त करने का आदेश इस शर्त के साथ दिया जाता है, कि अभियुक्त के दोनों जमानतदार स्थानीय होने चाहिए, जिनके पास पर्याप्त अचल सम्पत्ति हो 2. आवेदक अभियुक्त इस आशय का अंडरटेकिंग दाखिल करेगें कि वे विचारण के दौरान पूर्ण सहयोग करेगें।

लेखापित एवं शुद्धिकृत,

Khyati S/d

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, प्रथम,
सह विशेष न्यायाधीश, उत्पाद, शिवहर।
दिनांक–26.03.2021